प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– 1875 / पि0व0क0 / 2015–16 लखनऊः दिनांक 24 नवम्बर, 2015

विषयः– सस्पेक्ट डाटा को डिजिटल सिग्नेचर से लॉक (एक्सेप्ट) किये जाने अथवा शुद्ध डाटा को रिजेक्ट किये जाने की स्थिति में उनके कारणों को अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य एन0आई0सी0 स्तर से आपके लॉगिन पर उपलब्ध कराये गये सस्पेक्ट / शुद्ध डाटा को डिजिटल सिग्नेचर से लॉक / एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट किया जाता है, परन्तु एक्सेप्ट / रिजेक्ट किये जाने के कारण / उनसे सम्बन्धित अभिलेखों को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में शैक्षिक सत्र 2015–16 के लिए आपको निर्देशित किया जाता है कि सन्देहास्पद डाटा एवं शुद्ध डाटा को डिजिटल सिग्नेचर से लॉक करते समय उन्हें एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाये–

1. राज्य एन0आई0सी0 स्तर से आपके लॉगिन पर उपलब्ध कराये गये शुद्ध डाटा को डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किये जाने में जो डाटा किसी युक्ति कारण से रिजेक्ट किया जाता है तो सम्बन्धित अनुसूची में रिजेक्ट किये जाने का स्पष्ट कारण साक्ष्यों सहित अंकित किया जाये।
2. सन्देहास्पद डाटा को डिजिटल सिग्नेचर से लॉक करते समय डाटा को एक्सेप्ट / रिजेक्ट किये जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख सम्बन्धित अनुसूची में साक्ष्यों सहित किया जाये। इस प्रक्रिया में डाटा को एक्सेप्ट किये जाने की स्थिति में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखें, ताकि बाद में किसी समय किसी छात्र द्वारा अपने आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जानकारी किये जाने की स्थिति में उसे वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्याः 1875 / पि0व0क0 / 2015–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग।
2– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0–2 ।
3– समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।